

RTI MATTER

सेवा  
विष  
महं  
मार्  
के  
सम्  
पत्र  
2  
मा  
के  
मं  
वा  
वि  
नी  
का  
नी  
वि  
लि  
जा  
अ  
प्र  
में  
औ  
वि  
मः



No. V-17012/78/2013-PR  
Government of India/Bharat Sarkar  
Ministry of Home Affairs/Grih Mantralya  
(CS Division)  
\*\*\*\*\*

RTI MATTER  
Most Urgent

5<sup>th</sup> floor, "B" Wing NDCC-II Bldg  
Jai Singh Road, New Delhi-110001  
4<sup>th</sup> February, 2014

4 FEB 2014


To  
Shri Praveen Jain,  
R/o A-103, Adishwar Housing Society,  
Behind Digamber Jain, Sector-9 A, Vashi  
Navi Mumbai- 400703

Sub: Information sought under Right to Information Act, 2005  
Sir,

I am to refer to your RTI application dated 4.7.2013 (received in Division on 18.12.2013) through Official Language Branch, Coordination Division of this Ministry, seeking information on points 11 & 12 of your RTI Application

2. In this connection it submitted that the information sought under points 11 & 12 pertains to Collection and Compilation of data which does not come under the definition of "Information" as given in Section 2 (f) of RTI Act, 2005. hence same is denied.

Yours faithfully,

  
Dr. (Smt.) Praveen Kumari Singh  
Director (SR) & CPIO  
Telefax No. 23438133

Copy to:-

Shri S. Samanta, Under Secretary (RTI), North Block, Ministry of Home Affairs, New Delhi-w.r.t O M No. 43020/01/2013 dated 12.11.2013... for information.

दिनांक: ५ नवंबर २०१३

प्रति,  
केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी  
गृह मंत्रालय  
नई दिल्ली

विषय: सूचना का अधिकार अधिनियम २००५ के अधीन सूचना पाने हेतु आवेदन

सन्दर्भ: ऑनलाइन आरटीआई आवेदन क्र. MHOME/R/2013/60186 दिनांक ४ जुलाई २०१३

महोदय,

कृपया ध्यान दें कि चार महीनों बाद भी आपके मंत्रालय ने उक्त आवेदन में माँगी गई सूचनाएँ प्रदान नहीं की हैं और मेरा आवेदन सामान्य सूचनाओं का प्रयोग किए बिना ही राजभाषा विभाग को हस्तांतरित कर दिया गया था और उसके बाद राजभाषा विभाग ने आवेदन मंत्रालय को वापस कर दिया था। मेरे आवेदन में स्पष्ट रूप से लिखा था कि सारे प्रश्न गृह मंत्रालय के मुख्यालय से सम्बंधित हैं। आपसे अनुरोध है कि उक्त ऑनलाइन आरटीआई आवेदन क्र. MHOME/R/2013/60186 दिनांक ४ जुलाई २०१३ का शीघ्र निपटारा करवाएँ और वांछित सूचनाएँ उपलब्ध करवाएँ।

सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत निम्नलिखित सूचनाएँ प्रदान करें, सारी सूचनाएँ केवल गृह मंत्रालय के मुख्यालय से सम्बंधित हैं क्योंकि अनुरोध है कि मेरे आवेदन को मुख्यालय के बाहर हस्तांतरित ना किया जाए:

1. प्रधानमंत्री कार्यालय का आदेश 27 अगस्त 1999, राजभाषा विभाग का निर्देश 22 सितम्बर 1999 एवं संसदीय राजभाषा समिति की सिफारिशों पर राष्ट्रपति महोदय के आदेश वर्ष 2008 में भारत सरकार की वेबसाइटों को द्विभाषी बनाये जाने के लिए कहा गया है और हर वर्ष राजभाषा विभाग वार्षिक कार्यक्रमों में भी निर्देश देता है। फिर भी गृह मंत्रालय ने अपनी वेबसाइट अंग्रेजी अलग बनाई है और हिंदी में अलग बनाई है। साथ ही गृह मंत्रालय ने भारत के परम पावन संविधान के प्रावधानों के विपरीत अंग्रेजी वेबसाइट को प्राथमिकता दी है, अंग्रेजी वेबसाइट पहले खुलती है, अंग्रेजी वेबसाइट हमेशा पहले अद्यतित की जाती है जबकि हिन्दी वेबसाइट की धार उपेक्षा की जाती है। गृह मंत्रालय अपनी मुख्य वेबसाइट को पत्र सूचना कार्यालय की तरह एक साथ दोनों भाषाओं को प्रदर्शित करने वाली द्विभाषी वेबसाइट के रूप में कब आरम्भ करेगा? (जिसमें हिन्दी को प्राथमिकता दी जाएगी, जिसके लिए संविधान ने अनुच्छेद ३५१ में भारत सरकार को स्पष्ट निर्देशित किया है,)
2. राजभाषा विभाग के १९९२ के कार्यालय ज्ञापन के अनुसार स्पष्ट निर्देश जारी किया गया है कि हिन्दी का प्रयोग हमेशा अंग्रेजी से पहले/ऊपर/ऊपर किया जाएगा जबकि अभी वेबसाइट पर अंग्रेजी को प्राथमिकता, पहले खुलने की व्यवस्था की गई है, इसलिए बताएं कि कितने वर्षों में गृह मंत्रालय की मुख्य वेबसाइट पीआईटी के तैयारी 100% द्विभाषी रूप में तैयार कर ली जाएगी, जिसमें हिन्दी पाठ्य सामग्री में हिन्दी फाइलें (पीडीएफ अथवा वर्ड) ही अनुलग्न की जाएंगी?
3. गृह मंत्रालय की मुख्य वेबसाइट के हिन्दी पृष्ठों पर भी अन्य अंग्रेजी वेबसाइटों के लिंक डाले जाते हैं ना कि संबंधित हिन्दी वेबसाइट के लिंक, ऐसा किस नियम के अधीन किया जा रहा है? नियमानुसार हिन्दी पाठ्य के साथ हिन्दी वेबसाइटों को जोड़ा जाना चाहिए।
4. गृह मंत्रालय ने अपने मुख्यालय में राजभाषा अधिनियम, राजभाषा नियमावली एवं राजभाषा नीति के पालन के लिए क्या-२ विशेष कदम उठाये हैं?
5. गृह मंत्रालय के मुख्यालय से अर्धानस्थ निकायों/ संस्थानों/कार्यालयों को पिछले दो वर्षों में राजभाषा अधिनियम, राजभाषा नियमावली एवं राजभाषा नीति के पालन के लिए क्या-२ विशेष निर्देश जारी किए गए?
6. गृह मंत्रालय के मुख्यालय की हिन्दी सलाहकार समिति एवं राजभाषा कार्यान्वयन समिति की पिछली बैठकें कब हुई थीं और अगली बैठकें कब होने वाली हैं?
7. गृह मंत्रालय के मुख्यालय में कितने अधिकारी और कर्मिक केवल अंग्रेजी में काम करते हैं?
8. गृह मंत्रालय के मुख्यालय में राजभाषा अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए कितने अधिकारी नियुक्त किए गए हैं?

9. गृह मंत्रालय के मुख्यालय में वर्तमान में प्रयोग में लायी जा रही निम्नलिखित भादों में से कितनी द्विभाषी और कितनी केवल अंग्रेजी में बनायी गई हैं, अलग-अलग संख्या बताएं:

- क. पत्र-शाम,
- ख. अधिकारियों के आगंतुक-पत्र (विजिटिंग कार्ड),
- ग. लिफाफे,
- घ. प्रवेश-पास,
- ङ. रबर की मुहरें
- च. अधिकारी नामपत्र
- छ. अधिकारी-कार्मिक परिवच-पत्र
- ज. फार्म/आवेदन-पत्रों के प्रारूप
- झ. ऑनलाइन फार्म

10. गृह मंत्रालय के मुख्यालय में वर्तमान में कौन से कार्य मूल रूप से हिन्दी में किए जाते हैं, सूचित करें?
11. अप्रैल २०१३ से लेकर अक्टूबर २०१३ तक गृह मंत्रालय के मुख्यालय में द्वारा राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) के अंतर्गत समग्रतः जारी १) प्रतिवेदन, २) प्रशासकीय आदेश, ३) कार्यालयीन ज्ञापन, ४) परिपत्र, ५) सूचना, ६) अधिसूचना, तथा ७) एंटी फार्म का अलग-अलग कुल संख्या सूचित करें और यह भी सूचित करें कि इनमें से कितने द्विभाषी (हिन्दी-अंग्रेजी) में जारी किए गए और कितने केवल अंग्रेजी में?
12. अप्रैल २०१३ से लेकर अक्टूबर २०१३ तक गृह मंत्रालय के मुख्यालय द्वारा निष्पादित सविदाओं और करारों, अनुज्ञापत्रों और निविदा-प्रारूपों की अलग-अलग कुल संख्या सूचित करें और यह भी सूचित करें कि इनमें से कितने द्विभाषी (हिन्दी-अंग्रेजी) में तैयार किए गए और कितने केवल अंग्रेजी में?
13. गृह मंत्रालय के मुख्यालय द्वारा पिछले दो वर्षों में कब-से राजभाषा अनुपालन की त्रैमासिक रिपोर्टें राजभाषा विभाग को भेजी गईं?
14. गृह मंत्रालय के मुख्यालय द्वारा प्रसन्न विज्ञप्तियाँ मूल रूप से किस भाषा में लिखी जाती हैं और उसका अनुवाद किस भाषा में किया जाता है?
15. गृह मंत्रालय के मुख्यालय द्वारा हिन्दी प्रेस विज्ञप्तियाँ किस किस को भेजी जाती हैं?
16. गृह मंत्रालय के कई अर्वाच्य कार्यालयों/ब्यूरो/आयोगों/संस्थानों आदि ने अपने प्रतीक चिह्न (लोगो) एवं वेबसाइटें राजभाषा सम्बन्धी प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए अब तक केवल अंग्रेजी में ही बनाई हैं, इसके सम्बन्ध में गृह मंत्रालय के किस अधिकारी को शिकायत की आनी चाहिए?

आवेदक

प्रवीण जैन  
ए-103, आदीश्वर सोसाइटी  
सेक्टर 9ए, वाशी  
नवी मुंबई - ४००७०३

टीप: आवेदन शुल्क १० रुपये का ऑनलाइन भुगतान